प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. ....292/22........ दिनांक ....22/7/2022........

2.(i) अधिनियम........... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें .... 7 ....
(ii) अधिनियम...धारायें..
(iii) अधिनियम.. धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या...........................405 समय ......11:00 A.M.......
(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 21.07.2022 समय ....5.45 पीएम ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– सीकर ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से दक्षिण दिशा में करीब 03 किलोमीटर
(ब) पता :– एलन कौचिग सेन्टर के सामने पिपराली सर्किल सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री करतार सिंह तंवर
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री छगनसिंह तंवर
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 40 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– .... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी मकान नम्बर 121–ए, लक्ष्मण पथ, बालविहार कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर ....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री नन्दकुमार, जाति जाट, उम्र–48 वर्ष, निवासी पुनियों का बास, पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनूं हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 1,00,000 रूपये.........................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 20.07.2022 को समय करीब 10.35 एएम पर परिवादी श्री करतारसिंह तंवर ने मोबाईल नम्बर 8386867272 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन 9413340555 पर कॉल कर पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना के श्री सुभाष पुनियां एसआई द्वारा रिश्वत मांगने तथा उसे रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाने तथा सुभाष पूनियां के जयपुर होने के कारण रिश्वत मांग का सत्यापन जयपुर पहूँचकर करवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने मामले में मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उसी दिन श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस के साथ दिगर राजकार्य हेतु जयपुर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से सम्पर्क कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री कैलाशचन्द कानि. मय डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, लैपटॉप के कलेक्ट्रेट सर्किल जयपुर पहूँचा।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

20.07.2022

5.00 पीएम इस समय परिवादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "श्री जितेन्द्र सिंह तंवर निवासी बघेघा नीमकाथाना पूर्व कर्मचारी एचडीएफसी बैंक नीमकाथाना द्वारा एचडीएफसी बैंक में उसके द्वारा गबन करने पर उसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर में मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमें की जांच श्री सुंभाष पुनियां एसआई पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना कर रहा है। उक्त श्री जितेन्द्र सिंह तंवर मेरा परिचित हैं, जिसके द्वारा मेरा बैंक में खाता भी खोला गया था। करीब 7–8 दिन पहले श्री सुंभाष पुनियां एसआई ने मुझे फोंन कर बताया कि जितेन्द्रसिंह ने आपका और जितेन्द्र नटवाडियां एवं कुलदीपसिंह का नाम लिया है, यदि आप थाने नहीं आये तो मै घर से उठा लूंगा, जिस पर मै दिनांक 19.07.2022 को मै जयपुर श्री सुंभाष पुनियां एसआई के बुलाने पर गया वहॉ मैने चौमू पूलिया पर श्री सुंभाष पुनियां एसआई से मिला तो उसने कहा कि पॉच लाख रूपये लगेगे नहीं तो आपको भी मुकदमें में मुल्जिम बना दूंगा। श्री सुंभाष पुनियां एसआई जयपुर ट्रेनिंग पर आया हुआ है। मै श्री सुंभाष पुनियां एसआई को रिश्वत देना नहीं चाहता हूॅ और उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूॅ। कानूनी कार्यवाकी करें।" एसडी–करतारसिंह तंवर दिनांक 20.07.2022, एसडी– सुरेशचन्द पु0नि0 कार्यवाही शुरू की जाती है, दिनांक 20.07.2022 मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताते हुये श्री सुभाष पूनियां एसआई पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना से कोई पूर्व को उधार लेनदेन एवं कोई रंजीश नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि सुभाष पूनियां एसआई की आज ट्रेनिंग पूर्ण हो गई है उसने मुझे शाम को अलका सिनेमा के पास बुलाया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लैपटाप में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि परिवादी को समझाई जाकर डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568 को सुपुर्द कर परिवादी करतारसिंह तंवर के साथ रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु अलका सिनेमा की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक कलेक्ट्रेट सर्किल के पास मुकिम हुआ।

समय करीब 7.00 पीएम पर बाद सत्यापन श्री कैलाशचन्द कानि. मय परिवादी करतारसिंह तंवर कलेक्ट्रेट सर्किल पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुये। कानि. ने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "अलका सिनेमा के पास पहूॅच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दी जिस पर परिवादी सिनेमा हॉल की तरफ चला गया तथा परिवादी के वापिस आने पर मैने टेप रिकार्डर वापिस प्राप्त कर ली।" परिवादी ने बताया कि " मैने श्री कैलाशचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर अलका सिनेमा से थोडा आगे मैने श्री सुभाष पूनियां से सम्पर्क कर उससे बातचीत की तो उसने मुझे व मेरे परिचित कुलदीप को मुलजिम नहीं बनाने के बदले कल ही डेड लाख रूपये रिश्वत के देने की कही" टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी के चाहेनुसार परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर दिनांक 21.07.2022 को कार्यालय एसीबी सीकर पर उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री कैलाशचन्द कानि. के जयपुर से रवाना होकर सीकर पहूॅचा। डिजिटल टेप रिकार्डर सुरक्षित आलमीरा में रखा गया।

दिनांक 21.07.2022 को कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सीकर से श्री सुरेन्द्रपाल सिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री प्रभूदयाल बोयल पशुधन सहायक एवं परिवादी श्री करतारसिंह तंवर के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी ने रूपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण श्री सुभाष एसआई को एक लाख रूपये की बतौर रिश्वत देने की कही। परिवादी श्री करतारसिंह तंवर का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी करतार सिंह तंवर द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.07.2022 को आरोपी श्री सुभाष पूनियां एसआई, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में

रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी करतारसिंह तंवर ने स्वंय की व आरोपी श्री सुभाष पूनियां एसआई, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी करतार सिंह तंवर ने हिदायत देने पर आरोपी श्री सुभाष पूनियां एसआई, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले दो–दो हजार रूपयों के 50 नोट कुल 1,00,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0EE 921653
2–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5DN 526799
3–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0DK 260565
4–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4GB 395410
5–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8ED 065140
6–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1FW 464173
7–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7ES 127680
8–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9DS 594062
9–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2EL 149930
10–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7CD 074886
11–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7HE 859946
12–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3LD 948350
13–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9FK 080445
14–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3AF 019069
15–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0BF 480974
16–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8KT 645321
17–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2KE 349647
18–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7MH 476831
19–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4AR 450822
20–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3GF 628896
21–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8KP 319466
22–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7LA 413820
23–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2EW 374396
24–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7LG 859235
25–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8GL 803958
26–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0MV 101214
27–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4BD 660410
28–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5MC 967730
29–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2GG 522832
30–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6AN 723355
31–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4DP 064459
32–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5FQ 735205
33–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2CV 177281
34–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8AC 597088
35–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9BE 987277
36–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2DM 225698
37–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9BC 104284
38–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 9AH 444915

39–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 5FV 786038
40–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 7FW 689303
41–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6HQ 651865
42–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2BA 064196
43–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 1AN 874698
44–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 6BW 655093
45–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 3DM 884335
46–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 2AV 127415
47–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0DS 190703
48–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 8CE 299947
49–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 0FS 432932
50–एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी 4MS 625278

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री दलीप कुमार कानि. से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री प्रभूदयाल बोयल से परिवादी श्री करतारसिंह तंवर की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 1,00,000 रूपयों के नोट श्री दलीप कुमार कानि. से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की सामने की दाहिनी जेब में सावधानीपूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री दलीप कुमार कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री करतारसिंह तंवर को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात समय करीब 2.13 पीएम पर परिवादी करतार सिंह तंवर ने श्री सुभाष पूनियां एसआई की मौजूदगी का पता लगाने हेतु अपने मोबाईल फोन नम्बर 7014375441 से श्री सुभाष पूनियां एसआई के मोबाईल फोन नम्बर 9784624073 पर कॉल किया तो आरोपी एसआई कुछ समय बाद कॉल करने की कही, जिस पर समय करीब 2.27 पीएम पर पुनः कॉल किया तो आरोपी एसआई ने स्वयं के सीकर में होने तथा परिवादी को समय 4.00 पीएम तक एलन कौचिंग सेन्टर पीपराली सर्किल के पास सीकर आने की कही।

तत्पश्चात समय 4.15 पीएम पर परिवादी श्री करतारसिंह तंवर को उसकी प्राईवेट गाडी से रवाना कर परिवादी के पीछे मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुरेन्द्रपाल सिंह अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री प्रभूदयाल बोयल पशुधन सहायक कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, रामनिवास कानि. नं. 485, श्रीमती सुशीला महिला कानि., श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लेकर मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहनों एवं मोटरसाईकलों के सीकर से रवाना होकर ऐलन कौचिंग सेन्टर के पास पहूँचा जहॉ वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी को उसकी गाडी में एलन के मख्य गेट के पास छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के एलन के आस–पास वाहनों में मुकिम हुआ। समय करीब 5.34 पीएम तक आरोपी एसआई के नहीं पहूँचने पर परिवादी करतार सिंह तंवर ने श्री सुभाष पूनियां एसआई की मौजूदगी का पता लगाने हेतु अपने मोबाईल फोन नम्बर 7014375441 से श्री सुभाष पूनियां एसआई के मोबाईल फोन नम्बर 9784624073 पर कॉल किया तो कुछ समय में ही आने की कही।

तत्पश्चात समय करीब 5.45 पीएम पर पिपराली सर्किल सीकर के पास ऐलन कौचिंग के सामने बनी दूकानों के आगे परिवादी की गाडी के पास मुकिम मन्

पुलिस निरीक्षक को परिवादी की गाडी के पास एक गाडी सियाज नम्बर आरजे–19 सीजी–1780 आकर रूकी दिखाई दी, जिसमें आगे की सीटों पर दो व्यक्ति बैठे दिखाई दिये, परिवादी अपनी गाडी से उतरकर सियाज में बैठ गया। परिवादी करतारसिंह तंवर ने गाडी से उतरकर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि ''सुभाष पूनियां एसआई गाडी की कन्डेक्टर सीट पर बैठा है, जिसने मेरे से रिश्वती राशि लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है'' इस पर पास ही खडे मन् पुलिस निरीक्षक ने आस–पास खडे ट्रेप पार्टी सदस्यों को ईशारे से साथ लेते हुये उक्त सियाज गाडी के पास पहूँचकर गाडी का कन्डेक्टर साईड का दरवाजा खुलवाया तो कन्डेक्टर साईड में बैठे व्यक्ति ने सीट पर बैठे–बैठे ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से दो–दो हजार रूपयों की थेई निकालकर सीट पर गिरा दी, इस पर गाडी के कन्डेक्टर सीट पर बैठे उक्त व्यक्ति को गाडी से नीचे उतारकर उक्त व्यक्ति का बांया हाथ श्री मूलचन्द कानि. एवं दाहिनी हाथ श्री कैलाशचन्द कानि. के जरिये कलाईयों के उपर से पकडवाये गये तथा सीट पर डाले गये दो–दो हजार रूपयों की थेई को गवाह श्री सुरेन्द्रपाल सिंह से उठवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम सुभाषचन्द एसआई पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि ''मैने इससे कोई रूपये नहीं लिये है, इन्होने खुद दिये है'' मौके पर परिवादी ने आरोपी एसआई के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि'' इन्होने मेरे से कल जयपुर में डेड लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी, इनको आज एक लाख रूपये दिये तो इन्होने कहा की ठीक है'' उक्त गाडी सियाज के ड्राईविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को पूछने पर उसने अपना नाम विकास कुमार पुत्र श्री रामरतन, जाति जाट, उम्र–32 वर्ष, निवासी गांव कोलिडा थाना दादिया जिला सीकर होना बताते हुये कहा कि ''इनके दादिया थाने में रहने के दौरान मेरी इनसे जान पहचान है, आज इनके कहने पर ही सीकर आया हूँ, मुझे पता नहीं की इन्होने किस बात के पैसे लिये है'' मौके पर आम रास्ता होने तथा आवागमन बाधित होने के कारण श्री सुभाषचन्द एसआई को उसी स्थिती में उसके दोनों हाथों को कानिगण के मार्फत पकडे हुये दूसरे वाहन में बैठाकर मय आरोपी के प्राइवेट वाहन सियाज मय चालक श्री रामरतन के मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के एसीबी चौकी सीकर पहूँच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। श्री विकास कुमार को उसकी गाडी सियाज सुपुर्द कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सुभाषचन्द एसआई के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी सुभाषचन्द एसआई के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश देने पर गवाह श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ने आरोपी एसआई द्वारा गाडी की सीट पर गिराई गई रिश्वती राशि के नोटों को गिना तो कुल एक लाख रूपये पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर निम्नानुसार फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 1,00,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री सुभाषचन्द एसआई को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसे पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी सुभाषचन्द एसआई की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर धोवन लिया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क पी–1 एंव

पी–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी सुभाषचन्द एसआई की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की जेब में 1250 रूपये पाये गये जिनके बारें में पूछने पर आरोपी एसआई ने अपने स्वयं के होना बताया। उक्त 1250 रूपयों को बाद सन्तुष्टि आरोपी सुभाषचन्द एसआई को वापिस लौटाये गये। उक्त पेन्ट बरंग निली की सामने की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''बी'' अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी सुभाषचन्द एसआई को परिवादी के विरूद्व प्रकरण के बारे में पूछा गया तो बताया कि ''एचडीएफसी बैंक नीमकाथाना में बैंक के कर्मचारी श्री जितेन्द्र द्वारा गबन करने पर बैंक मनैजर द्वारा पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना पर प्रकरण संख्या 258/2022 दर्ज करवाया था, जिसकी अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है, प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र ने गबन की राशि करतारसिंह एवं कुलदीप को देना बताया, जिसकी जांच हेतु मेरे द्वारा करतारसिंह को फोन किया गया था'' आरोपी श्री सुभाषचन्द एसआई ने प्रकरण की पत्रावली थाने पर होना बताया, जिसकी फोटो प्रति भिजवाने हेतु थानाधिकारी को अवगत कराया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सील्ड पेन्ट का पैकेट मार्क ''बी'' पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। श्री सुभाषचन्द उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल पहूँच घटना स्थल पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होने पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल हस्ब कायदा प्रथक से तैयार किया गया।

बाद कार्यवाही उपरोक्त एसीबी चौकी सीकर पहूँच परिवादी करतार सिंह तंवर द्वारा दौराने वक्त लेनदेन आरोपी श्री सुभाषचन्द एसआई, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी करतारसिंह तंवर ने स्वंय की व आरोपी श्री सुभाषचन्द एसआई, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर की आवाजों की पहचान की। परिवादी एवं गवाहान को रूखसत किया जाकर प्रकरण से जप्त शुदा माल वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री नन्दकुमार, जाति जाट, उम्र–48 वर्ष, निवासी पुनियों का बास, पुलिस थाना बिसाऊ जिला झुंझुनूं हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये एचडीएफसी बैंक नीमकाथाना जिला सीकर में बैंक के कर्मचारी श्री जितेन्द्रसिंह के विरूद्व दर्ज गबन का मुकदमा संख्या 258/2022 में परिवादी करतारसिंह एवं परिवादी के साथी श्री कुलदीप सिह को आरोपी नहीं बनाने की एवज में परिवादी से दिनांक 20.07.2022 को 1,50,000 रूपये बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 21.07.2022 को ही 1,00,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी सुभाषचन्द एसआई पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी सुभाषचन्द एसआई पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना जिला सीकर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुभाषचन्द, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना कोतवाली नीमकाथाना, जिला सीकर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 292/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2559-63 दिनांक 22.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

22.7.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।